



मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
(भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं
बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम)
:: सार्वजनिक सूचना ::

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में दिनांक 01.11.1993 से पेंशन योजना लागू करने के संबंध में

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाईनान्शियल सर्विसेस, नई-दिल्ली के आदेश क्र. F.No. 8/4/2024-आरआरबी दिनांक 03 अक्टोबर, 2024 के द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऐसे समस्त कार्मिक जो दिनांक 01 सितम्बर 1987 और 31 मार्च 2010 के मध्य बैंक की सेवा में थे, हेतु पेंशन प्रभावी दिनांक 01.04.2018 के स्थान पर दिनांक 01.11.1993 कर दी गई है ।

अतः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ऐसे समस्त कार्मिकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सूचित किया जाता है कि, जो दिनांक 01 सितम्बर 1987 और 31 मार्च 2010 के मध्य बैंक की सेवा में थे, और वर्तमान में वेतन या पेंशन नहीं ले रहे हैं, सेवानिवृत्त/बर्खास्त/पदच्युत/सेवा से हटाये गए/त्याग पत्र दे चुके/मृत हो गए हैं/ अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं, वे या उनके कानूनी उत्तराधिकारी निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में पेंशन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ता हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 19.10.2024 या उसके पूर्व करें । आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध है । आवेदन पत्र बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय, इन्दौर में कर सकते हैं । आवेदक की पात्रता एवं पेंशन विनियम के प्रावधानों के तहत पेंशन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किये जाने के संबंध में बैंक द्वारा उचित निर्णय लिया जावेगा । आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 19 अक्टोबर 2024 है ।

महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय, 204, सी-21 बिजनेस पार्क,
होटल रेडिसन के सामने, एम.आर. 10 इन्दौर (म.प्र.) 452010

पेंशन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ता हेतु आवेदन पत्र
(आवेदन की अंतिम तिथि 19.10.2024)

(सेवा से त्याग पत्र /अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/
सेवा से हटाये गए/ सेवा से पदच्युत /सेवा से बर्खास्त कार्मिकों हेतु)

प्रति,
अध्यक्ष/महाप्रबंधक महोदय,
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
इन्दौर

महोदय,

विषय : पेंशन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ।

मैं ----- (कार्मिक का नाम) बैंक सेवा से दिनांक ----- को सेवा से त्याग पत्र / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त / सेवा से हटाया गया / सेवा से पदच्युत / सेवा से बर्खास्त ----- (जो लागू हो अंकित करें) होकर दिनांकको बैंक सेवा से पृथक हुआ हूँ ।

अथवा

मेरे पति/पिता स्वर्गीय श्री ----- (कार्मिक का नाम) बैंक सेवा से दिनांक ----- को सेवा से त्याग पत्र / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त / सेवा से हटाया गया / सेवा से पदच्युत / सेवा से बर्खास्त ----- (जो लागू हो अंकित करें) होकर दिनांक को सेवा से पृथक किये गए हैं ।

मुझे प्राप्त जानकारी अनुसार बैंक सेवा से त्याग पत्र / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त / सेवा से हटाया गया / सेवा से पदच्युत / सेवा से बर्खास्त कार्मिकों से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा पेंशन / अनुकंपा भत्ता हेतु आवेदन आमंत्रित किये गए है । पेंशन विनियम के विभिन्न प्रावधान मेरे लिए बंधनकारी रहेंगे । इस संबंध में, मैं निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हुए पेंशन/अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हूँ -

कार्मिक का नाम											
दावाकर्ता का नाम (दिवंगत कार्मिकों के मामले में)											
पिता/पति का नाम											
कार्मिक से संबंध											
लिंग (पुरुष/महिला)											
कार्मिक का भविष्य निधि खाता संख्या											
कार्मिक का जन्म दिनांक											
बैंक में नियुक्ति दिनांक											
बैंक से सेवा समाप्ति की दिनांक											
सेवा समाप्ति का तरीका (जो लागू हो, बाक्स पर टिक करें)	<table border="1"> <tr> <td>सेवानिवृत्ति</td> <td></td> </tr> <tr> <td>त्याग पत्र</td> <td></td> </tr> <tr> <td>स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति</td> <td></td> </tr> <tr> <td>पदच्युति</td> <td></td> </tr> <tr> <td>सेवा से हटाया जाना</td> <td></td> </tr> </table>	सेवानिवृत्ति		त्याग पत्र		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति		पदच्युति		सेवा से हटाया जाना	
सेवानिवृत्ति											
त्याग पत्र											
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति											
पदच्युति											
सेवा से हटाया जाना											

	मृतक	
	अन्य कोई उल्लेख करें	
पेंशन चालू नहीं होने का कारण		
दावाकर्ता का पेन नम्बर		
दावाकर्ता का आधार नम्बर		
सेवा समाप्ति की दिनांक को पद – लिपिक / अधिकारी – स्केल – I, II, III IV		
अंतिम पदस्थी शाखा / कार्यालय		
क्षेत्रीय कार्यालय का नाम		
वर्तमान पता (पिन कोड सहित)		
स्थायी पता (पिन कोड सहित)		
मोबाईल नम्बर ---		
वैकल्पिक मोबाईल नम्बर ---		
ई-मेल का पता		
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में परिचालित बचत खाता संख्या		
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त राशि का विवरण	प्राप्त राशि रु..... प्राप्ति दिनांक	
EPFO से प्राप्त पेंशन का विवरण (पीपीओ की प्रति संलग्न करें)	पीपीओ क्र. प्रति माह प्राप्त राशि	
सेवा से निलंबन की अवधि, यदि हो तो	दिनांक.....से दिनांक तक कुल दिवस	
शास्ति आदेश क्र. एवं दिनांक		

नोट : 01. शास्ति आदेश की प्रति संलग्न करें ।

02. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त राशि का साक्ष्य यथा बैंक स्टेटमेंट / पास बुक संलग्न करें ।

परिवार के सदस्यों की जानकारी

क्र.	पत्नी / पुत्र / पुत्री का नाम	संबंध	व्यवसाय	वार्षिक आय	

मैं यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है । इस हेतु मैं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ / रही हूँ ।

संलग्न : यथोक्त
दिनांक :

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)
नाम : _____

नोट : मेरे द्वारा अनुमति पत्र (Undertaking) भी संलग्न किया जा रहा है ।

:: अनुमति पत्र (Undertaking) ::

(सेवा से त्याग पत्र / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त / सेवा से हटाये गए /
सेवा से पदच्युत / सेवा से बर्खास्त कार्मिकों हेतु)

प्रति,
अध्यक्ष महोदय,
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
इन्दौर

**पेंशन/एरियर/कम्यूटेशन की राशि में से कर्मचारी भविष्य निधि फंड में बैंक का अंशदान मय
ब्याज के एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा भुगतान की गई पेंशन की राशि
समायोजित/वसूली करने विषयक ।**

मैं यह घोषणा करता हूँ कि, मेरे द्वारा Madhya Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा उक्त आवेदन किया जा रहा है ।

यदि, बैंक द्वारा मुझे उक्त विनियमों के अनुसार पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो मैं Madhya Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024 में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अंदर मेरे/मेरे पति/पिता के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बैंक द्वारा जमा किये गए भविष्य निधि बैंक अंशदान की सम्पूर्ण राशि एवं भविष्य निधि की राशि की प्राप्ति की तारीख तक के ब्याज सहित एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मुझे/मेरे पति/पिता को भुगतान की गई सम्पूर्ण पेंशन की राशि को बैंक को लौटा दूंगा ।

यदि मेरे द्वारा उक्त राशि को निर्धारित समयावधि में नहीं लौटाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार रहेगा कि बैंक मुझे उक्त विनियमों के तहत भुगतान की जाने वाली एरियर/पेंशन/कम्यूटेशन की राशि में से बैंक द्वारा मेरे/मेरे पति/पिता के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बैंक द्वारा जमा किये गए भविष्य निधि बैंक अंशदान की सम्पूर्ण राशि एवं भविष्य निधि की राशि की प्राप्ति की तारीख तक के ब्याज की राशि का समायोजन/वसूली कर सकेगा । साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मुझे अब तक प्राप्त पेंशन भी मैं बैंक को लौटाने के लिए सहमत हूँ । जिसे बैंक मुझे प्राप्त होने वाले एरियर/ पेंशन/ कम्यूटेशन से वसूल कर सकेगा । मैं बैंक को मुझे भुगतान किये जाने वाली उक्त राशियों में से उक्त समायोजन/वसूली हेतु अधिकृत करता हूँ ।

मैं बैंक को यह भी अधिकृत करता हूँ कि, यदि भविष्य में उक्त रिफंड की राशि में यदि कोई कमी परिलक्षित होती है तो बैंक ऐसी कमी को मुझे किये जाने वाले उक्त भुगतानों में उक्त कमी को समायोजित/वसूल कर सकेगा ।

(हस्ताक्षर)

(नाम _____)

:: अनुमति पत्र (Undertaking) ::

(पेंशन का विकल्प चुनने से छोटे सेवानिवृत्त कार्मिकों/दिवंगत कार्मिकों के मामले में परिवार द्वारा भरा जाए)

प्रति,
अध्यक्ष महोदय,
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
इन्दौर

पेंशन/एरियर/कम्यूटेशन की राशि में से कर्मचारी भविष्य निधि फंड में बैंक का अंशदान
समायोजित करने विषयक ।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा Madhya Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024) के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा उक्त आवेदन किया जा रहा है ।

यदि, बैंक द्वारा मुझे उक्त विनियमों के अनुसार पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो मैं Madhya Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024 में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अंदर मेरे/मेरे पति/पिता के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बैंक द्वारा जमा किये गए भविष्य निधि बैंक अंशदान की सम्पूर्ण राशि एवं भविष्य निधि की राशि की प्राप्ति की तारीख तक के ब्याज सहित राशि को बैंक को लौटा दूंगा ।

यदि मेरे द्वारा उक्त राशि को निर्धारित समयावधि में नहीं लौटाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार रहेगा कि बैंक मुझे उक्त विनियमों के तहत भुगतान की जाने वाली एरियर/पेंशन/कम्यूटेशन की राशि में से बैंक द्वारा मेरे/मेरे पति/पिता के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बैंक द्वारा जमा किये गए भविष्य निधि बैंक अंशदान की सम्पूर्ण राशि एवं भविष्य निधि की राशि की प्राप्ति की तारीख तक के ब्याज की राशि का समायोजन/वसूली कर सकेगा । मैं बैंक को मुझे भुगतान किये जाने वाली उक्त राशियों में से उक्त समायोजन/वसूली हेतु अधिकृत करता हूँ ।

मैं बैंक को यह भी अधिकृत करता/करती हूँ कि, यदि भविष्य में उक्त रिफंड की राशि में यदि कोई कमी परिलक्षित होती है तो बैंक ऐसी कमी को मुझे किये जाने वाले उक्त भुगतानों में उक्त कमी को समायोजित/वसूल कर सकेगा ।

(हस्ताक्षर)
(नाम -----)